भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3123
दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

असम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एफएचटीसी

†3123. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) असम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल कितने घरों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं;
(ख) उक्त राज्य में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त करने में वर्तमान कमी क्या है;
(ग) लक्ष्य पूरा करने में देरी के क्या कारण हैं, यदि कोई हों; और
(घ) उक्त मिशन के अंतर्गत असम राज्य सरकार को अभी तक कितनी निधि जारी की जानी है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) : भारत सरकार अगस्त 2019 से असम सहित राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया जा सके। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

असम राज्य सरकार की सूचना के अनुसार, अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय, केवल 1,11,311 ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। 15.12.2025 तक, असम राज्य में 72,24,242 ग्रामीण परिवारों में से कुल 58,98,701 (81.65%) परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, मिशन के तहत लगभग 57,87,390 और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

कुछ प्रमुख चुनौतियों जैसे कि भूजल में संदूषित पदार्थों की उपस्थिति और जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, प्रबंधन, संचालन तथा रखरखाव के लिए ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों की क्षमता और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान कुछ राज्यों में राज्य के हिस्से को जारी करने में हुई देरी आदि का सामना जेजेएम के कार्यान्वयन में किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को पांच वर्ष अर्थात 2019-20 से 2023-24 तक मंजूरी दी थी। इस अवधि के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन के तहत जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन को पूरा करना था। विभिन्न संचार और समीक्षा बैठकों के माध्यम से असम सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी स्पष्ट किया गया था कि जेजेएम के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता केवल मिशन अवधि के दौरान उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है और कोई भी अतिरिक्त देनदारियां राज्यों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वहन की जाएंगी। इसके अलावा, अब तक हासिल की गई प्रगति और चल रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने बजट घोषणाओं 2025-26 के माध्यम से कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ दिसंबर 2028 तक जल जीवन मिशन के विस्तार की घोषणा की है। बढ़े हुए परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन के विस्तार के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने और संबंधित दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद ही पात्र राज्यों को केंद्रीय सहायता अनुदान जारी किया जा सकता है।
